अनुदान संख्या 61 – पेयजल और स्वच्छता विभाग
GRANT No. 61 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	27766,70,00		27766,73,00	26016,57,19	-1750,15,81
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1752,09,06

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (₹175209.06 लाख) ₹175015.81 लाख के कुल बचतों से अधिक हो गईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the amount surrendered (₹175209.06 lakhs) exceeded the overall savings of ₹175015.81 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	114843.00	90038.74	90233.11	+194.37
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-24805.26			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	199947.00	..	..	..
पु.	R.	-199947.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	2457612.00				
पू.	S.	1.00		2509092.58	2509092.58	..
पु.	R.	51479.58				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	2100.00				
पू.	S.	1.00		250.00	250.00	..
पु.	R.	-1851.00				

(I) ₹199998.00 लाख का प्रावधान (नवम्बर, 2019 में प्राप्त किए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹199947.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹199998.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹199947.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "जल पूर्ति–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" – ₹100007.00 लाख; और

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - ₹100007.00 lakhs; and

(खा) "मलजल और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹99940.00 लाख।

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - ₹99940.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on

शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त है।

(II) मुख्य शीर्ष "2215" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "जल पूर्ति–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" – ₹7167.93 लाख की बचत (नवम्बर, 2019 में प्राप्त किए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15081.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "मलजल और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹17442.96 लाख की बचत (₹99713.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों / बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) "केंद्रीय सहायता / शेयर – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹5734.46 लाख की बचत (₹477939.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹36427.16 लाख की बचत (₹219868.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण एवं

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - saving of ₹7167.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15081.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹17442.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99713.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies/Union Territories without legislature, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹5734.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹477939.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹36427.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹219868.00lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from States/Union

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹16557.80 लाख की बचत (₹99940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹1800.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹110186.01 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" – के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹16557.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99940.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹1800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the Union Territory Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (₹110186.01 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share-National Rural Drinking Water Programme".